



## कार्यालय जिला पंचायत, जिला सुकमा (छ.ग.)

Email – ceo.zp.sukma@gmail.com, pmayg.sukma@gmail.com Office.Phone No. 07864-284027, 28 Fax No. 07864-284028

//आदेश//

क्रमांक/ 3632 /प्र.मं.आ.यो./जि.पं./2017-18

सुकमा, दिनांक 04 /09/2017

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक/15/अमुस/पंचाविधि/2017 नया रायपुर दिनांक 07.01.2017 एवं क्रमांक/46/वि-6/प्र.म.आ.यो.(ग्रा)/2017 नया रायपुर, दिनांक 23.01.2017 राज्य शासन द्वारा पंचायत संचालनालय के अधीन प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत दिये गए निर्देशानुसार सुकमा जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु (जिले को निर्धारित लक्ष्य के आधार पर) जनपदों के लिये निर्धारित कलस्टर अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3500/प्र.मं.आ.यो.ग्रा./जि.पं./2017-18 सुकमा दिनांक 26.08.2017 के माध्यम से 15 आवास मित्रों का चयन कर कलस्टर आबंटित किया गया था। शेष कलस्टर पर प्रतीक्षा सूची से 22 अभ्यर्थियों को चयन किया जाना प्रस्तावित है। अतः 22 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास मित्र के रूप में कार्य करने हेतु चयनित किया जाता है।

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	पत्र व्यवहार का पता
1	कुमारी सुमित्रा शर्मा	स्व.श्री आर.एस.शर्मा	सामान्य	अम्बेडकर पारा कोन्टा, जिला सुकमा
2	श्री विजित प्रकाश	श्री विजय प्रकाश	सामान्य	अस्पताल कॉलोनी, चांडक मेडिकल के पीछे छिन्दगढ़ जिला सुकमा
3	श्री शिव प्रसाद	श्री दशरथ मांझी	अ.ज.जा.	ग्राम रतिनाईकरास पोस्ट पाकला वि.ख.छिन्दगढ़ जिला सुकमा
4	श्री एलीपाज कुमार	श्री बोजैया	अ.पि.व.	देवी चौक पटनमपारा सुकमा जिला सुकमा
5	श्री विजय कुमार साहू	श्री धनसिंह राम साहू	अ.पि.व.	ग्राम पोस्ट तोगपाल, वि.ख.छिन्दगढ़ जिला सुकमा
6	श्री प्रेम नारायण मण्डावी	श्री जोगाराम मण्डावी	अ.ज.जा.	ग्राम गोरली वि.ख.+तह. छिन्दगढ़ जिला सुकमा
7	श्री रमेश कुमारी द्वारी	श्री हरिराम द्वारी	अ.ज.जा.	ग्राम धोबनपाल पाईकपारा पो.उरमापाल वि.ख.छिन्दगढ़ जिला सुकमा
8	श्री पण्डा राजू	श्री सुब्बा	अ.ज.जा.	ग्राम फंदीगुड़ा पो. इंजरम तह.कोन्टा जिला सुकमा
9	श्री पुनेम सोना	श्री पुनेम मासा	अ.ज.जा.	ग्राम दुब्बाटोटा वि.ख.कोन्टा जिला सुकमा
10	श्री देवाराम	श्री कोसा राम	अ.ज.जा.	ग्राम गोरली पो.गोरली तह.छिन्दगढ़ जिला सुकमा
11	श्री करटम देवा	श्री करटम ईदा	अ.ज.जा.	ग्राम रासातोंग पो.गोलापल्ली तह.कोन्टा जिला सुकमा
12	श्री मड़कम भीमा	स्व श्री मड़कम गंगा	अ.ज.जा.	पी.एम.टी.कॉलेज छात्रावास सुकमा जिला सुकमा
13	श्री रामप्रसाद यादव	श्री मुकुन्द राम यादव	अ.पि.व.	ग्राम पोस्ट.पाकला तह.छिन्दगढ़ जिला सुकमा
14	श्री हरिलाल	श्री माडवी रामा	अ.ज.जा.	ग्राम-बोरगुड़ा पो0 रामाराम,तह0 सुकमा जिला सुकमा
15	श्री जगदीश प्रसाद	श्री देवा राम	अ.ज.जा.	रंगा राजा नगर वार्ड क्रमांक15 कुम्हाररास सुकमा वि0ख0 सुकमा
16	श्री अजय ठाकुर	श्री सुखदेव ठाकुर	सामान्य	गांधी नगर सुकमा वार्ड क्र.07 जिला सुकमा
17	श्री संतोष कुमार नाग	श्री अर्जुन नाग	अ.पि.व.	ग्राम चिपुरपाल पो.पाकला तह.छिन्दगढ़ जिला सुकमा
18	श्री शेखर मिश्रा	श्री प्रसाद मिश्रा	सामान्य	गांधी नगर सुकमा वार्ड क्र.07 जिला सुकमा
19	श्री मरमम रमेश	श्री मरमम बोजी	अ.ज.जा.	ग्राम सेन्दुरगुड़ा, पो.किस्टारम तह.कोन्टा जिला सुकमा
20	श्री मोहमद नाजिर	स्व.श्री शेख मंसुर	सामान्य	म.न.83 मस्तानपारा वार्ड नं. 02 सुकमा जिला सुकमा
21	श्री रविशंकर नेताम	श्री गणेशराम	अ.ज.जा.	मेन रोड मस्तानपारा सुकमा तह+जिला सुकमा
22	श्री सोनाधर सेठिया	श्री हिरानाथ	सामान्य	ग्राम चिपुरपाल पो.पाकला तह.छिन्दगढ़ जिला सुकमा


उपरोक्त आवास मित्रों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य पर लगाया जाता है-

1. जिले की भौगोलिक स्थिति अनुसार विभागाध्यक्ष के द्वारा आवास मित्रों को आवास निर्माण कार्य आबंटित किया जायेगा।
2. आवास मित्रों को आबंटित कलस्टर के आवासों को 09 माह में पूर्ण कराना होगा।

4.9.2017

3. प्रोत्साहन राशि के तौर पर प्रत्येक आवास मित्र को 1000 रुपये प्रति पूर्ण आवास के मान से प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।
  - (क) 30 प्रतिशत राशि प्लिथ स्तर तक के लिए।
  - (ख) 30 प्रतिशत राशि लिंटल स्तर तक के लिए।
  - (ग) 30 प्रतिशत छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात।
  - (घ) शेष 10 प्रतिशत राशि हितग्राही का आवास पूर्ण होने पर।
4. यदि कोई आवास मित्र संबंधित क्लस्टर में अपने प्रभार के ग्राम पंचायतों में निर्मित होने वाले आवास को छः माह में पूर्ण करा लेते हैं तो उन्हें मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक पूर्ण आवास पर 200 रुपये का प्रोत्साहन राशि पृथक से प्रदान किया जावेगा। लेकिन उक्त आवास 09 माह के पश्चात पूर्ण कराने पर प्रति माह प्रति आवास के दर से उनके मानदेय में 200 रुपये की कटौती की जावेगी। एक वर्ष पश्चात आवास पूर्ण कराने पर उन्हें कोई मानदेय देय नहीं होगा।
5. आवास मित्र की सेवा अवधि उनके प्रभार के क्लस्टर के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास पूर्ण होने तक या अधिकतम एक वर्ष के लिए होगा।
6. यह चयन पूर्णतः अस्थायी होगा।
7. कार्य अवधि के दौरान प्रदान कर्तव्यों के प्रति यदि कोई विपरीत टिप्पणी पाई जायेगी तो विभागाध्यक्ष द्वारा सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है।
8. आवास मित्र के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना आवास स्वीकृत होने के साथ ही की जावेगी जो एक वर्ष की होगी।
9. आवास मित्रों के लिए शासन द्वारा प्रदाय कर्तव्य एवं दायित्व -
  - (क) हितग्राहियों को उन्मुखीकरण करना।
  - (ख) 09 माह या अधिकतम 01 वर्ष की समय सीमा में आवास पूर्ण कराना है।
  - (ग) आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
  - (घ) हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय कराना।
  - (ङ.) आवास निर्माण का स्तरवार जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में एम.आई.एस. एंटी सुनिश्चित कराना।


विशेष-: चयनित आवास मित्र प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संबंध में शासन प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

  
4.9.2017

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत सुकमा  
सुकमा, दिनांक 04/08/2017  
9

पृ. क्रमांक/ 3632(A) /प्र.मं.आ.यो./जि.पं./स्थापना/2017  
प्रतिलिपि :-

- 1.संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्राम) विकास आयुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2.महालेखाकार (छ.ग.प्रकोष्ठ) रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3.अवर सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4.आयुक्त सह संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 5.संचालक, ठाकुर प्यारेलाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, निमोरा, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
- 6.संभागायुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 7.कलेक्टर, जिला सुकमा को सादर सूचनार्थ
8. एन.आई.सी. प्रभारी, जिला सुकमा को सूचनार्थ, इसे जिले के वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. जिला कार्यालय एवं जिला पंचायत सुकमा के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
- 10.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सुकमा/कोष्ठा/छिंदगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सर्व संबंधित.....को दिनांक 09.09.2017 तक जिला पंचायत सुकमा में उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ।

  
4.9.2017  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत सुकमा